यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्राचार्य, महिला विद्यालय, सतीकुंड, हरिद्वार, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य, महिला विद्यालय, सतीकुंड, हरिद्वार, उत्तराखंड के माह 10/2015 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विश्व प्रकाश सिंह, श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री संदीप चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 08.10.2020 से 15.10.2020 तक श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में **माह 10/2015 से 09/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान तीर्थ नगरी हरिद्वार में एनएच-72 पर स्थित है। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी से दूरी 290 किमी है। संस्थान में जनपद हरिद्वार के अतिरिक्त जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी आकर छात्र शिक्षा प्राप्त करते है।

(अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	--	--	9420574	9420574	00	--	--	--
2016-17	--	--	11264833	11264833	00	--	--	--
2017-18	--	--	13773494	13773494	00	--	--	--
2018-19	--	--	14364012	14364012	00	--	--	--
2019-20	--	--	17373747	17373747	00	--	--	--
2020-21 (08/20)	--	--	9120912	9120912	00	--	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
2015-16	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--
2017-18	--	--	--	--	--
2018-19	--	--	--	--	--
2019-20	--	--	--	--	--
2020-21 (09/20)	--	--	--	--	--

इकाई को बजट आवंटन (क्रेन्द एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई कार्यालय प्राचार्य महिला विद्यालय, सतीकुंड, हरिद्वार, उत्तराखंड श्रेणी (सी) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

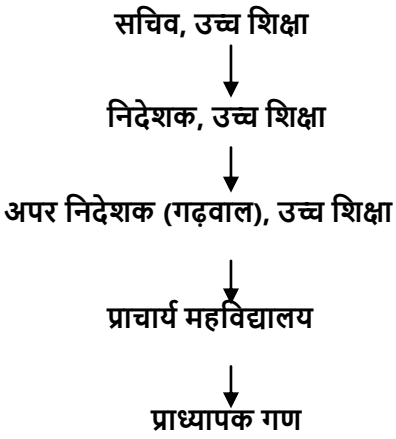

₹

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्राचार्य, महिला विद्यालय, सतीकुंड, हरिद्वार, उत्तराखंड** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे है। यह प्रतिवेदन **कार्यालय प्राचार्य, महिला विद्यालय, सतीकुंड, हरिद्वार, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु **माह 10/2017, 11/2018 एवं 11/2019** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग –II 'ब'

प्रस्तर-01:- छात्रनिधि का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो मे न करके ₹ 1.5 लाख की धनराशि को अवरुद्ध रखा जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार छात्रकोष की राशि उसी मद मे व्यय की जाएगी जिसके लिए बसूल की गयी है। बिन्दु संख्या 6 के अनुसार यदि किन्ही कारणो से किसी छात्रकोष मे बचत होती है और यह बचत 3 वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कॉलेज की प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कॉलेज की छात्रनिधियो से संबन्धित लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि विगत 5 वर्षों से छात्र निधि 'छात्र कल्याण शुल्क' मे प्राप्त धनराशि को छात्र कल्याणकारी कार्यो पर व्यय न करके ₹ 149704 की धनराशि को अवरूद्ध रखा गया है। छात्रनिधियो का उपयोग छात्रो के कल्याणकारी कार्यो मे न करके उक्त धनराशि को महाविध्यालय द्वारा ब्याज प्राप्त हेतु उपयोग किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार करते हुए कहा गया कि भविष्य में छात्रनिधि खातो में जमा बचत को महाविद्यालय द्वारा छात्र कल्याण निधि बनाने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

अतः छात्रनिधि का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो मे न करके ₹ 1.5 लाख की धनराशि को अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर01:- यूजीसी से विकास कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि ₹ 610868/- का समुचित उपयोग न किया जाना एवं यूजीसी को सही धनराशि का ब्यौरा उपलब्ध न कराया जाना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र संख्या एफ. 1-5 (37)/2007 यूजी/एनआरसीबी) दिनांक 31 मार्च 2009 द्वारा विद्यालयों के लिए सामान्य विकास अनुदान के रूप में **₹** 665856/- अवमुक्त किए गए। receipt and payment account के अनुसार **₹** 80971.56 का आरंभिक अवशेष भी था।

अभिलेखो की जांच में एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह पाया गया कि उक्त अनुदान के सापेक्ष वर्ष 2009-2013 के दौरान उक्त धनराशि पर **₹** 107761.88 का ब्याज अर्जित किया गया एवं **₹** 54990/- की पुस्तकें क्रय की गईं एवं **₹** 775268/- भवन निर्माण का कार्य कराया गया एवं ₹ 1935.82 बैंक चार्ज का भुगतान किया गया, उक्त कार्य के पश्चात ₹ 22395.62 अवशेष था। प्रपत्रों की जांच में आगे पाया गया कि यूजीसी से प्राप्त प्राप्त अनुदान ₹ 665856/- से ₹ 54990/- के व्यय दर्शाते हुए ₹ 610868/- कि धनराशि यूजीसी को वापस कर दी गयी साथ ही ₹ 17838/- अर्जित व्याज के रूप में भी वापस की गयी। 22 फरवरी 2013 को तैयार किए गए receipt and payment account के अनुसार उक्त धनराशि पर ₹ 107761.88 का ब्याज अर्जित किया गया, जिसके अनुसार कुल धनराशि ₹ 854589.44 थी जिसका उक्त कार्यों के पश्चात अंतिम शेष ₹22395.62 था, जिसेअनुदान में अर्जित ब्याज की धनराशि को यूजीसी को अवगत नहीं कराया गया। receipt and payment account में ₹ 80971.56 का प्रारम्भिक अवशेष किस योजना से संबन्धित था यह भी इकाई को ज्ञात नहीं था। इस प्रकार receipt and payment account खाते के अनुसार ₹ 170893.44 की धनराशि अद्यतन यूजीसी को किन कारणों से उपलब्ध नहीं कराई गयी।

यूजीसी को कार्य होने के बाद भी धनराशि वापस किए जाने के संबंध में एवं उपलब्ध धनराशि के संबंध में स्पष्ट जानकारी न दिये जाने के संबंध में पूंछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि यूजीसी ने भवन निर्माण पर किए गए व्यय को उक्त धनराशि से व्यय हेतु उपयुक्त नहीं माना एवं अवशेष धनराशि के संबंध में जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा यूजीसी से प्राप्त धनराशि के संबंध में यूजीसी को सही स्थिति से अवगत नहीं कराया गया एवं यूजीसी द्वारा दी गयी धनराशि का उचित उपयोग भी नहीं किया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर02:- रु. 0.95 लाख का नियम के विरुद्ध व्यय किया जाना।

As per rule no. 146 of GFR 2005 and Rule No. 9 of Uttarakhand Procurement Rules, 2008 - Purchase of goods costing above Rs. 15,000/- and up to Rs. 1,00,000/- on each occasion may be made on the recommendations of a duly constituted Local Purchase Committee consisting of three members of an appropriate level as decided by the Heal of Department/Head of Office. In such a committee one member should be either from finance services or audit services or a person specially trained in procurement to advice on procedural aspects of procurement and financial rules. The committee will survey the market to ascertain the reasonableness of rate, quality and specification and identity the appropriate supplier.

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में महविद्यालय हेतु 40/80 साइज़ का वॉटर कूलर (रु. 30,000/-) एवं 25 LPH क्षमता एक वॉटर प्युरिफ़ाइर (क्रय रु. 3,000/-) क्रय किया गया। इस कार्य हेतु तत्कालीन प्राचार्य एवं अध्यापिकाओं द्वारा इस कार्य को क्रीडा निधि (छात्रनिधि) से किए जाने हेतु प्रबंधन से अनुरोध दिनांक: 27/04/2015 को किया गया था। इकाई द्वारा कमेटी के गठन एवं बाजार सर्वे किए बिना ही दिनांक: 25/04/2015 को एक विक्रेता (विशाल इंडस्ट्रीज़ एण्ड कंपनी, हरिद्वार) से कोटेशन प्राप्त कर दिनांक 28/04/2015 को ही क्रय आदेश उक्त विक्रेता को दे दिया गया तथा विक्रेता द्वारा उक्त सामाग्री की आपूर्ति दिनांक: 15/05/2015 को की गयी। इकाई द्वारा उक्त वॉटर कूलर का क्रय उक्त विक्रेता द्वारा रु. 30,000/- में किया गया, जबकि एक अन्य विक्रेता द्वारा प्राप्त कोटेशन (दिनांक: 29/04/2015) के अनुसार समान साइज़ का वॉटर कूलर रु. 28,200/- में दिया जा रहा था, परंतु इकाई द्वारा क्रय आदेश यह कोटेशन प्राप्त होने से पूर्व ही जारी कर दिया था। इकाई द्वारा क्रय आदेश अत्यंत जल्दबाज़ी में अन्य कोटेशन प्राप्त होने के पूर्व दिया गया इससे विदित होता है कि इकाई को पहले से ही पता था कि उक्त सामाग्री को उक्त विक्रेता, विशाल इंडस्ट्रीज़ एण्ड कंपनी से ही क्रय किया जाना था।अत: इकाई द्वारा उक्त वॉटर कूलर एवं प्युरिफ़ाइर हेतु किया गया कुल भुगतान रु. 36,000/- नियमानुसार नहीं था। इकाई द्वारा उक्त वॉटर कूलर हेतु जाली लगवाने का कार्य भी करवाया गया, जिसपर किया गया व्यय कुल रु० 23500/- था, जोकि नियम के विरुद्ध बिना कोटेशन लिए एवं परचेस कमेटी के गठन के कराया गया था।

आगे इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में सामने आया कि वर्ष 2011 में तत्कालीन कार्यवाहक प्राचार्या (डॉ. गीता जोशी) को "उत्तराखंड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में विवाह संबंधी लोकगीतों का एक समीक्षात्मक अध्ययन" हेतु एक प्रोजेक्ट आवंटित किया गया था। इस कार्य हेतु कुल रु. 1,45,000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इस धनराशि में से कुल रु 35,000/- यंत्रों (Equipments) हेतु स्वीकृत किए गए थे, जिसका व्यय तत्कालीन प्राचार्या द्वारा संगीत यंत्रों के क्रय हेतु किया गया एवं यह क्रय उक्त नियमों के विरुद्ध बिना कोटेशन प्राप्त किए किया गया था। इसके साथ ही अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि स्टॉक पंजिका में क्रय किए गए संगीत यंत्रों की प्रविष्टि तो की गयी थी, परंतु प्रविष्टि के उपरांत लेखापरीक्षा तक उसका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त सामाग्री इकाई के स्टॉक में विद्यमान थी अथवा नहीं।

इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गयी एवं उक्त के संबंध में पूछे जाने पर कहा गया कि नियमों कि जानकारी के अभाव एवं शीघ्रता होने के कारण पहले कोटेशन लिए गए एवं अन्य विक्रेता द्वारा वॉटर कूलर का क्रय इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह मात्र वॉटर कूलर ही उपलब्ध करा रहा था। साथ ही इकाई द्वारा संगीत यंत्रों के क्रय के संबंध में कोटेशन ना लिए जाने का कारण जानकारी का अभाव बताया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वॉटर कूलर एवं प्युरिफ़ाइर की आपूर्ति क्रय आदेश जारी होने (दिनांक-28/04/2015) के लगभग 17 दिन बाद (दिनांक-15/05/2015) की गयी थी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त सामाग्री की आपूर्ति शीघ्र नहीं की गयी थी, एवं जब एक अन्य विक्रेता द्वारा समान वॉटर कूलर कम मूल्य (रु. 28,200/-) पर उपलब्ध करवाया जा रहा था तो उससे ही वॉटर कूलर क्रय किया जाना चाहिए था।

अत: रु. 94,500/- का नियम के विरुद्ध व्यय किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो -''अ''प्रस्तर संख्या	भाग दो -''ब'' प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा होने के कारण शून्य।			

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा होने के कारण शून्य।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्राचार्य महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, सतीकुंड, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

अप्रस्तुत अभिलेख: वर्ष 2005-06 में प्राप्त सांसद निधि के व्यय से संबन्धित समस्त अभिलेख।

सतत् अनियमितताएः --शून्य --

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रं.सं.	नाम	पद नाम	कार्यकाल अवधि
1.	डा. गीता जोशी	प्राचार्या	01.01.2005 से 09.08.2016 तक
2.	डा. शशि प्रभा	प्राचार्या	10.08.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्राचार्य महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, सतीकुंड, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ''महालेखाकार भवन'' दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.-I